राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकःआर0एम0पी0यू0/1085/2025 दिनांकः 28 मई, 2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

विषयः—शैक्षिक सत्र 2025—26 हेतु विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्वत्तिपोषित महाविद्यालय के लिए प्रवेश नियमावली के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपयुक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 25.03.2025 के मद सं0—5.03 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मा० कुलपति जी द्वारा सत्र 2025—26 हेतु प्रवेश नियमावली को अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः अनुरोध है कि प्रवेश नियमावली(सलंग्न) में अंकित दिशा निर्देशों के अनुसार ही महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

28/05/25

(वी०के० सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. परीक्षा नियंत्रक, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़।
3. उपकुलसचिव,राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
4. निजी सचिव, मा० कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5. प्रभारी, वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन आई०डी० तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. गार्ड फाईल ।

कुलसचिव

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र–2025–2026

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के लिए प्रवेश नियमावली

प्रवेश नियम

1. प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल **https://rmpssuadm.samarth.edu.in/test.php/site/login** पर समयबद्ध सफल पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
2. योग्यता सूची के आधार पर विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल **https://rmpssuadm.samarth.edu.in/test. php/site/login** के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जायेगें।
3. विश्वविद्यालय परिसर, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ की आरक्षण नीति के अनुसार प्रवेश किए जायेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित होंगे। यदि किसी पाठ्यक्रम में कुल स्थान 100 है तो 10 स्थान आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगें, तथा 10 सीट मूल 100 सीट के अतिरिक्त होंगी।
4. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।

यह प्रवेश नियमावली विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम यथा डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा (वर्तमान में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ पर लागू) के अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, गृहविज्ञान, कृषि प्रबन्धन, शिक्षा तथा विधि संकाय की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा, जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्रावधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में मेरिट **(राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एलएल0एम0 / एम0एस0सी0 एग्रोनौमी पाठ्यक्रम को छोड़कर)** के आधार पर किये जायेगें।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनके दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3. सत्र 2025–26 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश समर्थ पोर्टल अनुश्रवण प्रणाली (Admission Monitoring System) के माध्यम से किये जायेंगे। इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पांच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म Offline / Online माध्यम से पूर्ण करके जिस महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है, वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र है, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली (Admission Monitoring System) की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें।
4. विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय एवं प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है।
5. विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से स्नातक स्तर पर 200/- रू० तथा परास्नातक स्तर पर 300 /– रू० शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।

सामान्य निर्देश

1.(अ). सत्र 2025–2026 के लिए प्रत्येक कक्षा में प्रवेश उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार लिया जायेगा। उत्तर प्रदेश के निवासी ही आरक्षण के हकदार होगें। अन्य प्रदेशों से आये हुए अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेगें। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अनारक्षित व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में उ0प्र0 शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान अन्य पिछडी जातियों (Non Creamy Layer) 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन (श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित) के लिए (छात्र / छात्रा के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) के अंतर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिए आरक्षित होगें। दिव्यांग्जन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। यदि कश्मीरी छात्र / छात्रा है तो उसे प्रवेश में प्राथमिकता दी जायगी। यदि आरक्षित वर्ग ओ०बी०सी० / एस०सी०/एस०टी० वर्ग (OBC SC ST) के अभ्यर्थियों की मेरिट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अथवा उससे ऊपर आती है तब उनको प्रवेश अनारक्षित श्रेणी में दिया जायेगा। अन्य आरक्षण जैसे दिव्यांगजन आदि क्षैतिज आधार पर होगा।

(ब) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा, जिस पर प्रत्येक कालेज को प्रवेश नियमावली अपलोड कराना होगा। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(स) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है एवं प्रवेशोपरान्त यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में योग्यतांक सूची में स्थान प्राप्त करता है और वह उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र / छात्रा के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रदद् कराना होगा। ऐसी स्थिति में छात्र / छात्रा को 30 दिन के अन्दर लिखित रूप में प्रवेश की तिथि से आवेदन करना होगा। 90 % शुल्क की वापिसी कॉलेज द्वारा अधिकतम 2 माह के अन्दर छात्र / छात्रा को करनी होगी।

2. सत्र 2025–26 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत दिये जायेगें तथा प्रवेश शुल्क के साथ 300/– रू० उपाधि शुल्क भी छात्र / छात्रा द्वारा देय होगा।

3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी–

(i) बी०ए०/ बी०कॉम० के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) बी०एससी० (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित वर्ग या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(iii) बी०एससी० (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग या इण्टर कृषि वर्ग परीक्षा में उत्तीर्ण।

(iv) बी०एससी० (कृषि) के लिए कला व वाणिज्य वर्ग को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(v) बी0एससी0 (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में से किसी भी पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(vi) बी0ए0एलएल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम में अनारक्षित श्रेणी हेतु 45 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4.73, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4.42 तथा अनुसूचित जाति / जनजाति एवं दिव्यांगजन हेतु 40 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4.21 के साथ उत्तीर्ण की हो।

(vii) एलएल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्नातक अथवा समकक्ष पाठयक्रम में अनारक्षित श्रेणी हेतु 45 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4.73, अन्य पिछडा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4.42 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांगजन हेतु 40 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4.21 के साथ उत्तीर्ण की हो।

(viii) यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा हाईस्कूल के पश्चात 03 वर्ष का प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो, ऐसे छात्र/छात्रा को स्नातक एव बी0ए0एलएलबी0 में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(ix) बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बी०पी०ई०एस० 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो। प्रवेश हेतु एन०सी०टी०ई० की अन्य शर्तें मान्य होगी।

(x) बी0एड0 पाठयक्रम मे प्रवेश राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जायेगें।

(xi) स्नातक चतुर्थ वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (कला संकाय) में प्रवेश हेतु छात्र/ छात्राओं द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अथवा न्यूनतम सी0जी0पी0ए0 4.73 के साथ सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो। परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवं साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र/ छात्राओं द्वारा स्नातक स्तर के तीनों वर्षों मे वह विषय एक मुख्य विषय के रूप में पढ़कर उस विषय में 44 क्रेडिट्स अर्जित किया जाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन छात्र/ छात्राओं के लिये 5 प्रतिशत अंकों की छूट के साथ यह सीमा न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत अथवा न्यूनतम सी0जी0पी0ए0 4.21 होगा।

(xii) स्नातक चतुर्थवर्षीय/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (विज्ञान संकाय) में प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा द्वारा चयनित विषय स्नातक स्तर पर तीनों वर्षों में मुख्य विषय के रूप में पढ़कर उसमें 44 क्रेडिट्स अर्जित किया जाना अनिवार्य है। स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अथवा 5.26 सी0जी0पी0ए0 अर्जित कर उत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्रा इसके लिये अर्ह होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन के छात्र/छात्राओं के लिये 5 प्रतिशत अंको की छूट के साथ यह सीमा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अथवा न्यूनतम 4.73 सी0जी0पी0ए0 होगी।

(xiii) कृषि संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०एससी० (कृषि) परीक्षा में उत्तीर्ण, किन्तु स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति / जनजाति/दिव्यांगजन के छात्र/ छात्राओं को 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(xiv) एम०एससी० (कृषि) में प्रवेश हेतु, ऐसे छात्र/ छात्राओं जिन्होंने बी०एससी० (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एम०एससी० (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्र/छात्राओं द्वारा बी०एससी० (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र/ छात्राओं उसी विषय के लिए एम०एससी० (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होगें।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्र/छात्रा द्वारा न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत होना अनिवार्य है तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(xv) स्नातक चतुर्थ वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (वाणिज्य संकाय) में प्रवेश हेतु छात्र/ छात्राओं द्वारा स्नातक त्रिवर्षीय परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अथवा 4.73 सी0जी0पी0ए0 के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन छात्र/छात्राओं हेतु 5 प्रतिशत अंको की छूट के साथ यह सीमा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अथवा 4.21 सी0जी0पी0ए0 होगी।

(xvi) एल0एल0एम० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वे अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने विधि स्नातक अनारक्षित श्रेणी एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन के छात्र/छात्राओं द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो। विश्वविद्यालय परिसर में एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होंगे।

नोटः राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ का सी0जी0पी0ए0 से प्रतिशत में परिवर्तित करने का प्रभावित गुणांक 9.5 है। यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय का यह गुणांक भिन्न हो, तो वह गणना हेतु मान्य होगा।

4. सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर (बी0एड0 को छोडकर) के लिए महाविद्यालयों में आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 30 जून, 2025 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगे।

- महाविद्यालय खुलने की तिथि — 01 जुलाई, 2025
- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि 15 मई, 2025
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में पंजीकरण की अन्तिम तिथि — 30 जून, 2025
- स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश आरम्भ की तिथि — 01 जुलाई, 2025
- स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की अन्तिम तिथि — 31 जुलाई, 2025
- स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर कक्षाओं में पठन–पाठन आरम्भ करने की तिथि — 01 अगस्त, 2025
- स्नातकोत्तर एवं विधि (त्रिवर्षीय) प्रथम वर्ष /प्रथम सेमेस्टर प्रवेश की अन्तिम तिथि — 31 जुलाई, 2025
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि — 01 अगस्त, 2025

नोट–सभी तिथियाँ विश्वविद्यालय से समय–समय पर प्राप्त होने वाली निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनीय है।

- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

5. महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

6. नियमानुसार एलएल0बी0 06 वर्ष, बी०ए०एलएल०बी० 08 वर्ष, एल0एल0एम0 04 वर्ष, बी0एड0 एवं एम0एड0 03 वर्ष, स्नातक–कृषि अधिकतम 07 वर्ष, स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 09 वर्ष (प्रति शैक्षणिक सत्र कुल 3 वर्ष में उत्तीर्ण होना आवश्यक), परास्नातक अधिकतम 06 वर्ष (प्रति शैक्षणिक सत्र 3 वर्ष में उत्तीर्ण होना आवश्यक) में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अथवा नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार होगा।

7. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में, अन्तराल की स्थिति में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को 2 वर्ष के अन्तराल की छूट दी जायेगी तत्पश्चात प्रति वर्ष 2 अंक की कटौती (अधिकतम 5 अंकों की कटौती) कर विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों द्वारा योग्यतांक सूची तैयार की जायेगी। अन्तराल के सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं को निम्न चार बिन्दुओं पर प्राचार्य के समक्ष घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगाः–

1. किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता का दोषी नहीं पाया गया हो।
2. किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध में दण्डित न हुआ हो अथवा दोषी न पाया गया हो।
3. किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत न हो।

4 कही सेवारत न हो।

8. प्राचार्य को प्रवेश के सम्बन्ध में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ की परिनियमावली यथा डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अध्यादेश -19 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार प्राप्त होंगे।

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college He shall however duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith-"

निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से महाविद्यालय द्वारा इंकार किया जा सकता है–

(अ) यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

(ब) यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दण्डित किया गया हो अथवा दोषी पाया गया हो।

9 स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे:–

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओ में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य प्रदेशों से आने वाले छात्र / छात्रायें को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र / छात्रायें भी सम्मिलित है।

(iii) शासनादेश संख्या जी0आई0 35 / सत्तर–1–2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र / छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) क्रमांक–ii व क्रमांक–iii में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमांक–i के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्र / छात्राओं को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्र / छात्राओं को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(a) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(b) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य चक्रानुसार।

(c) जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित।

नोटः–कोई भी महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्र / छात्राओं को प्रवेश नहीं देगा।

(vi) समिति का यह भी दायित्व होगा कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जाये।

10. शैक्षिक अंकों की गणना :–

(क) स्नातक पाठ्यक्रमः–

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 % अथवा CGPA का 50 %.

2 इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों का 100 % अथवा CGPA का 100 %.

(ख) स्नातकोत्तर एवं एलएल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमः–

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत अथवा CGPA का 50 %

2 स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों का 100 प्रतिशत अथवा CGPA का 100 %.

(ग) एलएल0एम0 पाठ्यक्रमः–

1 एलएल0बी0 / बी0ए0एलएल0बी0 के प्राप्तांकों के आधार पर।

नोटः– राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ परिसर में संचालित एलएल0एम0 / एम0एस0सी0 एग्रोनौमी पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न किए जायेंगे।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ अतिरिक्त अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्य स्तारीय अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ...

(क) प्रथम विजेता – 5 अंक

(ख) द्वितीय विजेता – 4 अंक

(ग) तृतीय विजेता – 3 अंक

(घ) प्रतिभाग करने पर – 2 अंक

2. एन०सी०सी० "सी" सर्टीफिकेट / जी–2 उत्तीर्ण कैडेटों को 8 अंक

अथवा

एन०सी०सी० "बी" सर्टीफिकेट / जी–1 उत्तीर्ण कैडेटों को 6 अंक

अथवा

एन०सी०सी० केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है तथा 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित पौत्र / पौत्री) 5 अंक

4. बी०कॉम० (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होनें इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:–

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए 8 अंक

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए 7 अंक

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए 6 अंक

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए 3 अंक

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए–

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए 5 अंक

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए 4 अंक

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए 3 अंक

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए 2 अंक

3. एन०सी०सी० "सी" सर्टीफिकेट / जी–2 उत्तीर्ण क्रेडिटस को 8 अंक

अथवा

एन०सी०सी० "बी" सर्टीफिकेट / जी–1 प्रमाण पत्र धारक क्रेडिट्स को 6 अंक

अथवा

एन०सी०सी० केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।

(क) प्रथम विजेता 5 अंक

(ख) द्वितीय विजेता 4 अंक

(ग) तृतीय विजेता 3 अंक

(घ) प्रतिभाग करने पर 2 अंक

नोटः– उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी, स्पोटर्स काउन्सिल कमैटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन०सी०सी० अधिकारी / एन०एस०एस० समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र / रोवर्स–रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी पाठ्यक्रमः

(i). राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्तपोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी / नियमित अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/ पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री ।

(ii). भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री (अविवाहित)। 17 अंक

(iii). भारतीय सेना / पैरा मिलिट्री फोर्स / अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी०ए०सी०) में कार्य करते हुये शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को। 10 अंक

टिप्पणी: 17 अंक

(i). प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा। यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायगी ।

(ii). प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नही किया जायेगा।

(iii) प्रवेश हेतु आवेदन करते समय अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से संलग्न करें तथा संलग्न प्रमाण पत्र वैध हो अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत समझा जायेगा।

(iv). किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

(v). शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी, स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन०सी०सी० अधिकारी / एन०एस०एस० अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

11. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर संलग्न करना होगा।

(ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्र/ छात्राओं को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नही करेगें। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 30 छात्र/छात्राओं एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र/छात्राओं के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

(द) यदि संस्थागत छात्र/छात्राऐं किसी भी ऐसे विषय का अध्ययन करना चाहते हैं, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है, वे ऐसे विषय का अध्ययन अपने स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल–SWAYAM or MOOC's के माध्यम से पूर्ण करेंगे।

(य) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेगें। कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(र) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र / छात्रा के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेगें।

(ल) प्रविष्ट छात्र / छात्राओं को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र / छात्रा का होगा।

(व) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओ व सूचियों की अद्यतन जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

12. आवेदक यदि किसी आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

13. यदि छात्र / छात्रा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है और उन्होंने इंटर की परीक्षा यू०पी० बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड अथवा प्रांत से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नही हुआ तथा उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का ही होगा।

कुलसचिव

16/4/2025
(Prof. Subhash)

VKAgrawal 16.4.25
(Prof. Krishna Agrawal)

16/04/25
(Prof Harish Kr Sharma)

(Prof. Kamal Singh)

(Dr. Anjana Kumari)